अध्याय 4

निष्कर्ष

अध्याय 4

निष्कर्ष

(क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संबंध में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि न तो विभाग और न ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने एप्लिकेशन के लिए कोई प्रणाली डिजाइन प्रलेखन तैयार किया या तैयार करना सुनिश्चित किया। परिणामस्वरूप, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में व्यवसाय नियमों के सही ढंग से मानचित्रण के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है और विभिन्न कमियां देखी गईं जैसे कि मृत पेंशनभोगियों का नामांकन और उनको पेंशन का भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए नामांकित 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का नामांकन, एक ही व्यक्ति कई योजनाओं के अंतर्गत नामांकित, एकल आधार आईडी के अंतर्गत नामांकित कई व्यक्ति, लाभार्थी के अलावा अन्य व्यक्ति के खाते में लाभ का हस्तांतरण। यह इंगित करता है कि न केवल उपयुक्त और पर्याप्त नियंत्रणों का अभाव था बल्कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन और निगरानी का भी अभाव था।

डाटा की सत्यनिष्ठा संदिग्ध बनी रही क्योंकि ऑडिट ट्रेल्स और लाभार्थियों के डाटा की कमी देखी गई थी।

निधि के प्रवाह का पता लगाने के लिए नियंत्रणों की कमी के कारण अप्राप्य लाभार्थियों से संबंधित पेंशन राशि विभाग को वापस नहीं भेजी गई थी।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के संवितरण के एवज में बैंकों/डाकघरों को कमीशन का अनियमित भुगतान किया गया। कमीशन की शर्तों को औपचारिक रूप देने वाले बैंकों/डाकघरों और विभाग के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

पासवर्ड नीति की कमी ने प्रणाली में अनधिकृत पहुंच को सुगम बना दिया। आपदाओं के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी परिसंपत्तियों की देखभाल के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना विकसित नहीं की गई थी।

प्रणाली की ऑन-बोर्डिंग के बाद, प्रणाली में विचलित लेन-देनों/कमियों की पहचान के लिए व्यवसायिक ज्ञान का उपयोग नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की योजना और कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण था, डाटा विश्लेषण ने परिणामों में वर्णित अनुसार विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन न करना दर्शाया, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रणाली अपने वर्तमान स्वरूप में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

लेखापरीक्षा स्वयं को आश्वस्त नहीं कर सकी कि अनधिकृत संचालन को रोकने या निषिद्ध लेन-देनों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त नियंत्रण हैं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा विश्लेषण ने त्रुटिपूर्ण सत्यापन और निगरानी को इंगित किया।

(ख) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष के संबंध में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सभी विभागों और योजनाओं में लागू नहीं किया गया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष की स्थापना के बाद सलाहकार बोर्ड की केवल एक बैठक (30 जून 2017 को) आयोजित की गई थी और आगे कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष व्यापक सूचीकरण सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक अनुसंधान के संचालन सहित योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची तैयार करने में सभी विभागों के साथ समन्वय करने में विफल रहा। राज्य में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लागू होने के बाद विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कक्ष बचत की पूरी तस्वीर प्राप्त नहीं कर सका।

उपर्युक्त बिन्दुओं को प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त एवं योजना विभाग को टिप्पणियों एवं उत्तरों के लिए संदर्भित किया गया है (सितंबर 2021)। सरकार से उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2021)।

विशाल बंसल

चण्डीगढ़ **(विशाल बंसल)**

दिनांक: 08 अप्रैल 2022 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 21 अप्रैल 2022 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**